



“सशक्त महिला सशक्त समाज”

निदेशालय

आई०सी०डी०एस०, उत्तराखण्ड

निकट-नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला, विकासनगर रोड़, देहरादून।  
दूरभाष नं०-0135-2775813,14,16, ई०मेल-dir.icds.ua@gmail.com



पत्रांक: C-169 / घ०हि०-1239-ए / 2013-14,

दिनांक: ०१/०५/2013

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

विषय: घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना अधिकारियों को संरक्षण अधिकारी नामित किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक अपर सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-676/XVII(4)/2013/246/06, दिनांक 12-03-2013 के द्वारा वर्तमान प्राविधान में आंशिक संशोधन करते हुये समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को “घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005” के अन्तर्गत संरक्षण अधिकारी नामित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। (छायाप्रति संलग्न)

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन के उक्त संदर्भित आदेश के क्रम में तत्काल “घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005” के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना अधिकारियों को संरक्षण अधिकारी नामित कर जनपद की पूर्ण सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।  
संलग्न: यथोपरि।

(सी०एस० नपलच्याल)

०/८९ निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

- प्रतिलिपि-
1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
  2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

निदेशक

०/८९

सं. 1/2013  
प्रेषक,

संख्या: 676 / XVII(4)/2013 / 246/06

सी०एस० नपलच्याल,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
आई०सी०डी०एस०  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादून: दिनांक 12 मार्च, 2013


विषय: "घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005" के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना अधिकारियों को संरक्षण अधिकारी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 4215/घ०हिं०अधि०-1239/2012-13 दिनांक 2-2-2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य की 105 परियोजना में कार्यरत बाल विकास परियोजना अधिकारियों को ही जिला कार्यक्रम अधिकारियों के स्थान पर संरक्षण अधिकारी नामित करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारियों/समस्त संरक्षण अधिकारियों को नोडल अधिकारियों के रूप में प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि को समस्त संरक्षण अधिकारियों के माध्यम से घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों/दायर वादों के सम्बन्ध में समीक्षा करते हुए मासिक प्रगति रिपोर्ट (एम०पी०आर०) के साथ प्रगति आख्या उपलब्ध कराये जाने तथा वर्तमान प्राविधान में जिला कार्यक्रम अधिकारियों/अन्य विभागीय संरक्षण अधिकारियों को कार्यदायित्व से मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से वर्तमान प्राविधान में आंशिक संशोधन करते हुए समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों/अन्य विभागीय संरक्षण अधिकारियों को कार्यदायित्व से मुक्त करते हुए "घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005" के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना अधिकारियों को संरक्षण अधिकारी नामित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय

  
(सी०एस० नपलच्याल)  
अपर सचिव।